उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी

और

न्यायमूर्ति, श्री विवेक भारती शर्मा

रिट याचिका (एस/बी) संख्या 42 सन 2023

04 दिसंबर, 2023

अर्जुन सिंह ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थी ।

याचिकाकर्ता के लिए वकील : श्री दुष्यंत मैनाली, विद्वान अधिवक्ता, वी. सी. के माध्यम द्वारा ।

राज्य के लिए वकील : श्री बी. एस. परिहार, राज्य के लिए विद्वान स्थायी वकील।

प्रत्यर्थी सं 4. के लिए वकील : श्री आदित्य सिंह, विद्वान अधिवक्ता

निर्णय : (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी के अनुसार)

याचिकाकर्ता राज्य सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में वरिष्ठ गन्ना विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। चीनी गन्ना विकास और चीनी चीनी उद्योग विभाग के सचिव द्वारा पारित आदेश 29.11.2019 को उन्हें सहायक चीनी आयुक्त के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, यद्यपि दिनांक 20.01.2023 के आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी नं4 को सहायक चीनी आयुक्त के पद का प्रभार दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

2. यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी नं. 4 याचिकाकर्ता से कनिष्ठ है और खंडसारी निरीक्षक के रूप में कार्यरत है, इसलिए याचिकाकर्ता के दावे की अनदेखी करके उसे सहायक चीनी आयुक्त के पद का अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जा सकता था।

3. हालाँकि, राज्य के लिए विद्वान स्थायी वकील बताते हैं कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध गम्भीर शिकायत को देखते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार द्वारा 24.12.2022 को उन्हें एक कारण-बताओ नोटिस जारी किया था और उनके जवाब पर विचार करने के पश्चात 29.12.2022 को अग्रेतर जांच का आदेश दिया गया था। उन्होंने अग्रेतर बताया कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए संबंधित विभाग के सचिव ने विवादित आदेश पारित किया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को

सहायक चीनी आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया था और उक्त पद का प्रभार प्रत्यर्थी नं.4 को दिया गया। वह अग्रेतर प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता को उच्च पद का प्रभार संभालने मे निहित अधिकार नहीं है और अग्रेतर यह कि चूंकि याचिकाकर्ता के आचरण की जांच चल रही है, इसलिए सहायक चीनी आयुक्त के कार्यालय में याचिकाकर्ता की उपस्थिति चल रही जांच को प्रभावित करेगी।

4. श्री आदित्य सिंह, प्रत्यर्थी नं. 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों को भी स्वीकार करता है और प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता किसी उच्च पद का अतिरिक्त प्रभार रखने के लिए किसी भी निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

5. यह न्यायालय प्रत्यर्थी की ओर से की गई दलीलों में सार पाता है। एक सरकारी कर्मचारी को काम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उच्च पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है, यद्यपि कोई भी उच्च पद का प्रभार रखने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता का आचरण जांच का विषय है अग्रेतर यह आरोप लगाया जाता है कि वह चल रही जांच में सहयोग नहीं कर रहा है अग्रेतर सहायक चीनी आयुक्त के रूप में उनका बने रहना जांच को प्रभावित करेगा।

6. यह न्यायालय दिनांकित 20.01.2023 के विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।

7. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता अग्रेतर प्रस्तुत करते हैं कि शिकायत में याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं। वह अग्रेतर प्रस्तुत करता है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई जांच शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है।

8. जैसा हो सकता है वैसा रहने दें। चूंकि याचिकाकर्ता को उच्च पद का प्रभार संभालने का कोई निहित अधिकार नहीं है, इसलिए विवादित आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं होगा। तदनुसार, रिट याचिका विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

9. हमें बताया गया है कि सहायक चीनी आयुक्त का पद पिछले कई वर्षों द्वारा खाली पड़ा है और याचिकाकर्ता 2019 द्वारा उक्त पद का प्रभार संभाल रहा था, इसलिए हम सचिव, चीनी गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग, उत्तराखंड सरकार को इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने की तिथि से तीन महीने के भीतर नियमित पदोन्नति के माध्यम द्वारा सहायक चीनी आयुक्त के पद पर रिक्तियों की आपूर्ति के लिए पदोन्नति की कवायद शुरू करने का निर्देश देते हैं।

मनोज कुमार तिवारी, एसीजे।

विवेक भारती शर्मा, जे.

दिनांक: 4 दिसंबर, 2023

बी एस